इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 387]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 सितम्बर 2021—आश्विन 1, शक 1943

पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2021

क्र. एफ-02-08-2021-पैंतीस.—पशुपालन एवं डेयरी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-02-08-2020-पैंतीस पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009 (2009 का 27) की धारा 6 की उपधारा (1) एवं धारा 7 की उपधारा (1) एवं (2) के प्रावधानों के तहत भोपाल जिले के नवबहार कॉलोनी भोपाल, उज्जैन जिले के ग्राम पानिबहार, विकासखण्ड घटिया एवं ग्राम बड़नगर, विकासखण्ड बड़नगर, जिला उज्जैन, इन्दौर जिले के निरंजनपुर विकासखण्ड इन्दौर एवं जिला अशोकनगर शहर क्षेत्रों को ग्लैंडर रोग के उद्भेद के कारण, रोग के बचाव, नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु उक्त क्षेत्रों को ''नियंत्रित क्षेत्र'' घोषित करते हुए इस क्षेत्र में अश्व प्रजाति के पशुओं के इन क्षेत्रों में आवागमन को प्रतिबंधित किया जाता है, साथ ही इन क्षेत्रों में पशुओं की दौड़, मेले, प्रदर्शिनी, खेलकूद एवं एकत्रीकरण को प्रतिबंधित किया जाता है.

No. F-02-08-2021-Thirty-five.—Animal Husbandry and Dairying Department's notification No. F-02-08-2020-Thirty-five sub-section (1 of section 6) of the Control and Prevention of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (27 of 2009) and under the provisions of sub-section (1) and (2) of section 7, Navbahar Colony Bhopal of Bhopal district, Panbihar development block Ghatiya and village Badnagar development block Badnagar district Ujjain of Ujjain district, Niranjanpur development block Indore and Indore district of Indore district Due to the outbreak of Glander disease in Ashoknagar city areas, for prevention, control and eradication of the disease, declaring the above areas as "controlled areas", the movement of equine animals in this area is restricted, along with In these areas, animal reces, fairs, exhibitions, games and gatherings are banned.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एन. कान्सोटिया, अपर मुख्य सचिव.